न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 853–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–04–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 186/अपील/2009–10

.....

बद्रीलाल पिता ताराचन्द्र
निवासी मालीपुरा उज्जैन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–पूनमचन्द पिता हीरालाल

निवासी बहादुरगंज मालीपुरा उज्जैन

2–म0प्र0शासन द्वारा पटवारी मौजा कस्बा उज्जैन

..... अनावेदकगण

.....

श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने नगर भूमि सीमा में घोषित अतिशेष उसके स्वामित्व की कस्बा उज्जैन स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 3814/2 रकबा 0.105, सर्वे कमांक 3818/5 रकबा 0.034, सर्वे कमांक 3822/1

रकबा 0.293, सर्वे कमांक 3822/2 रकबा 0.073 आरे, सर्वे कमांक 3823/1 रकबा 0.167 आरे, सर्वे कमांक 3823/2 रकबा 0.366 आरे, सर्वे कमांक 3825 रकबा 0. 104 आरे, सर्वे कमांक 3826 रकबा 0.136 आरे, सर्वे कमांक 3827 रकबा 0.188 आरे, सर्वे कमांक 3828 रकबा 0.199 आरे व सर्वे कमांक 3829 रकबा 0.240 आरे, कुला रकबा 1.906 आरे पर नामान्तरण हेतु एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो याचिका कमांक 1754/2000 पर अंकित होकर दिनांक 7–9–2000 को स्वीकार की गई है तथा उपरोक्त भूमियॉ सीलिंग से मुक्त की जाकर आवेदक का नाम इंद्राज करने के आदेश दिये गये । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 36/अ–6/2005–06 दर्ज कर दिनांक 10–7–2006 को आदेश पारित कर उपरोक्त भूमियों पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2007 से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2007 से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–4–2010 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर निर्देश दिये कि सभी तथ्यों को अभिलेख पर लेकर म0प्र0शासन एवं कलेक्टर को तथा तत्कालीन समय सभी भूमिस्वामीयों को अभिलेख पर लेकर सभी की सुनवाई कर आवेदक बद्रीलाल के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर व निगरानी मेमों को ही अपनी बहस बताया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक की याचिका स्वीकार

करते हुये दिनांक 7–9–2000 को यह आदेश दिया था कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का आधिपत्य है और उसका नामान्तरण विधि अनुसार किया जावे । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत निगरानीग्रस्त आदेश पारित किया है जो कि किसी भी दशा में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अपर आयुक्त पर बंधनकारक है । निगरानी मेमों में यह भी आधार लिया गया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के हिस्से की है । माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक का नाम दर्ज करने बावत् आदेश प्रदान किया तब इस कार्यवाही में अनावेदक कमांक 1 ने कभी कोई हिस्सा नहीं लिया । यदि वास्तव में अनावेदक कमांक 1 का स्वत्व, हित या अधिकार होता तो वह उक्त कार्यवाहियों में हिस्सा लेता, परन्तु किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना यह प्रमाणित करता है कि उसका कोई स्वत्व या हिस्सा नहीं है । यह भी आधार लिया कि नामान्तरण प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 के द्वारा नतो कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई और न ही उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, ऐसी दशा में अनावेदक कमांक 1 को न तो आपत्ति करने का अधिकार था और न ही अपील प्रस्तुत करने का अधिकार था, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा नामान्तरण आदेश निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया हैं कि नगर भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अतिशेष घोषित भूमि पर तहसील न्यायालय द्वारा बिना शासन सहित अन्य खातेदारों को सुने आवेदक का नाम दर्ज करने में विधि एवं न्यायालय की गम्भीर भूल की गई है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया

जाकर प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई कि शासन सहित अन्य पक्षकारों को अभिलेख पर लिया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का गुणदोष पर आदेश पारित किया जाये, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर